न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2018

प्रार्थीगण

1. अजबलाल पुत्र गोमाराम
2. समदादेवी पत्नि अजबलाल समस्त जातियान मेघवाल निवासी धामसीन तहसील रानीवाडा

अप्रार्थीगण

1. करणाराम पुत्र समेला
2. तुलसा पुत्र समेला
3. धुखा पुत्र समेला
4. मेती पुत्री समेला
5. रतना पुत्र मोडा
6. लक्ष्मणा पुत्र मोडा
7. मफी देवी पत्नि धुखा समस्त जातियान रेबारी निवासी धानोल
8. लालूदेवी जोजे प्रागाजी
9. रूपाराम वल्द मोतीजी
10. (1) दिनेश
    (2) दिलीप नाबालिग कुदरती वली संरक्षक गेनाराम वल्द हिन्दू जाति कलबी निवासी गांग
11. इसाराम पि. भूरा
12. शिवाराम पि. भूरा
13. सविता पुत्री भूरा
14. नन्दा पुत्री भूरा
15. नीला पुत्री भूरा
16. मृतक मालू पत्नि भूरा के कायम मूकाम वारीसान (अप्राथी संख्या 11 से 15)
17. परखा पि. पीथा
18. पीरा पि. पीथा
19. मृतक रणछोडा पि. हेमा के का.मू.वारीसान
    19/1 दीवा पत्नि रणछोडा
    19/2 सदा पुत्र रणछोडा
    19/3 चन्दु पुत्र रणछोडा
    19/4 भरत पुत्र रणछोडा
20. सुखाराम पि. हेमा
21. शान्तिलाल पि. हेमा जातियान कोली निवासी धानोल
22. कान्तिलाल वल्द छगनाराम जातियान कोली निवासी रामपूरा हाल धानेरा (गुजरात) तहसील रानीवाडा
23. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रानीवाडा
24. शाखा प्रबंधक महोदय बैंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:37 IST
Reason: SelfAttested

ऑफ इण्डिया रानीवाडा
25. श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाडा
26. कान्तादेवी पत्नि मेहरूराम कौम कोली निवासी जाखडी
27. सुगनादेवी पत्नि हरीराम जाति कोली निवासी जाखडी तहसील रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रमेश कूमार गर्ग।
2. अप्रार्थी संख्या 10/1 व 10/2 वकील श्री मोहनलाल विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 25 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 14.07.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा धानोल में प्रार्थीगणों की कब्जासुदा सामलाती आराजी खसरा नबंर 1023 रकबा 3.17 हैक्टर बारानी दोयम आई हुई है, उनके अडौस–पडौस में अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी आई हुई है, अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी आराजी के खसरा नबंर 1477/1020 रकबा 3.27 हैक्टर है तथा खसरा नबंर 1021 रकबा 3.97 बारानी दोयम 8 से 10 अप्रार्थीगणो की सामलाती आराजी आई हुई है उसी प्रकार खसरा नबंर 1022 रकबा 2.41 बारानी दोयम अप्रार्थी संख्या 11 से 22 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

2. प्रार्थी ने दिनांक 24.7.2018 को श्रीमान् तहसीलदार साहब रानीवाडा के आदेश क्रमांक 77 दिनांक 19.06.2018 की पालना में दिनांक 19.06.2018 को हल्का आर. आई. व पटवारी प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नबंर 1023 रकबा 3.17 की पैमाइश हेतु पहुंचे हल्का पटवारी व आर. आई. ने उक्त आराजी का सीमाकंन किया तो नक्शा ट्रेस के अनुसार चारों माठों की लम्बाई कम होना बताया तथा कब्जा काश्त का रकबा 3.17 हैक्टर से कम होना बताया, जिनका उल्लेख पैमाईश मौका फर्द में स्पष्ट उल्लेख है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 उक्त आराजी जो कम है तथा अप्रार्थीगणों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है, समझाने पर 1 इंच भी जमीन छोडने को तैयार नहीं है। उल्टे माठ को हर वर्ष तोडकर नई बनाते है। इस प्रकार उनका रवैया खातेदारी आराजी को हडपना है तथा उक्त खातेदारी को हड़पने में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 कामयाब हो गए तो पुरे परिवार के भुखे मरने की नौबत आ जाएगी, प्रार्थीगण अनुसुचित जाति के सदस्य है, न्यायहित में प्रार्थीगण अप्रार्थीगणो से त्रस्त होकर न्यायालय की शरण में आया है। प्रार्थीगणों के काश्त ही एकमात्र साधन है, लेकिन अप्रार्थीगण बाहुबली एवं राजनीतिक पहुच वाले लोग है, जो आए दिन माठ तोड़ने रहते है, माठ बदलना आम

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:37 IST
Reason: SelfAttested

बात है प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर जान से मारने धमकियों दी जा रही है, तथा कार्यवाही हो चाहे कर लो उनसे कोई फर्क नहीं पडेगा ऐसा भी कहा जा रहा है। प्रार्थीगण गरीब परिवार से संबंधित है, अतः न्यायहित में कमेठी गठित कर पैमाईश करना अनिवार्य है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 बाहुबली है, ऐसी परिस्थिति में पुलिस इमदाद जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् स्थायी सीमाज्ञान एवं पत्थर गडडी पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा धानोल के खसरा नबंर 1023 रकबा 3.17 हैक्टर बारानी दोयम की स्थायी सीमाज्ञान एवं पत्थरगडडी हेतु कमेठी गठित करने का आदेश फरमावें।

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 9 व 11 से 24 व 26 से 27 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 10/1 व 10/2 की ओर से वकील जवाब देना नहीं चाहते है। अत इनका जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 25 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 25 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा मौजा धानोल के खसरा नबंर 1023 रकबा 3.17 हैक्टर में अजबलाल पुत्र गोमा, समदादेवी पत्नी अजबलाल कौम मेधववाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। खसरा नबंर 1477/1020 रकबा 3.27 हैक्टर में अप्रार्थी खातेदार 1 से 7 तक दर्ज है जो रिकार्ड अनुसार सही है। तथा खसरा नबंर 1022 रकबा 2.41 हैक्टर में अप्रार्थी सुगनादेवी पत्नी हरीराम, कान्तादेवी पत्नी मेहरूराम, कान्तिराम पुत्र छगनाराम, रणछोडाराम पुत्र हेमा, सुखाराम पुत्र हेमा, शान्तिलाल पुत्र हेमा कौम कोली की खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है। तथा खसरा नबंर 1021 रकबा 3.96 हैक्टर में लालुदेवी पत्नि प्रागाजी, दिनेश दिलीप पिसरान गेनाराम कौम कलबी निम्बाराम पुत्र करणाराम कौम पुरोहित की खातेदारी दर्ज है। तहसील हाजा के आदेश क्रमांक 77 दिनांक 19.06.2018 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.07.2018 को सीमाकंन किया, जिसकी प्रति संलग्न है। बिन्दु संख्या 02 स्वीकार है।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व अप्रार्थी संख्या 25 के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 24.07.2018 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में भी नक्शा ट्रेस अनूसार चारों माठों की लम्बाई कम होना व कब्जा काश्त का रकबा कम होना स्वीकर किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी मौके पर कब्जा काश्त रकबा कम होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 1023, 1477/1020, 1021 व 1022 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद धानोल पटवारी मण्डल धानोल के खसरा नम्बर 1023, 1477/1020, 1021 व 1022 रकबा क्रमश 3.17, 3.27,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:37 IST
Reason: SelfAttested

3.97, 2.41 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.26 13:13:37 IST
Reason: SelfAttested